इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *150

7 मार्च, 2013 को उत्तर के लिए

'पॉस्को' इस्पात संयंत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण

*150 श्री डी0 राजा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ओडिशा में 'पॉस्को' के इस्पात संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हाल ही में फिर से आरंभ कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि 'पॉस्को' संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रति 'पॉस्को' प्रतिरोधी संग्राम समिति का विरोध अभी भी जारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)**

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

"पॉस्को इस्पात संयंत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण" के बारे में श्री डी. राजा, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 07.03.2013 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *150 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): ओडीसा सरकार ने यह सूचित किया है कि गोविंदपुर गांव में सरकारी भूमि (वन एवं राजस्व दोनों) पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया दिनांक 3.2.2013 से पुन: आरंभ कर दी गई है ताकि राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण करने वालों की सहमति से भूमि अधिग्रहण किया जा सके। इसके अतिरिक्त, निजी भूमि के अधिग्रहण पर माननीय ओडीसा उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।

(ग) और (घ):ओडीसा सरकार ने आगे यह सूचित किया है कि धिनकिया और पटना गांवों के कुछ स्थानीय निवासियों ने पॉस्को प्रतिरोधी संग्राम समिति (पीपीएसएस) के बैनर तले अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया का विरोध किया है। यह भी सूचित किया गया है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया केवल गोविंदपुर गांव तक ही सीमित है तथा गोविंदपुर के ग्रामवासी पॉस्को इंडिया प्रोजेक्ट की स्थापना का समर्थन करते हैं। राज्य सरकार को धिनकिया अथवा पटना गांवों की किसी निजी भूमि में रुचि नहीं है।

****